



2026:AHC-LKO:20500

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1564 सन 2026

रियाज अहमद @ चौधरी

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	मृत्युंजय तिवारी, प्रभात सिंह राठौड़
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

हमने अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय तिवारी की ओर से उपस्थित श्री रोहित सिंह को और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल दो मामले दर्ज हैं और दोनों ही मामलों में आवेदक को जमानत मिल चुकी है। जमानत के आदेशों की प्रतियां जमानत आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 3 और 4 के रूप में संलग्न हैं। आगे यह भी बताया गया कि उपर्युक्त दो मामलों के अलावा आवेदक का कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक 29.7.2025 से जेल में है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि आवेदक न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाएगा। यह भी कहा गया है कि आवेदक निचली अदालत द्वारा पारित सभी आदेशों का पालन करेगा और मामले की शीघ्र सुनवाई में सहयोग करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक कथनों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

हमने अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत दलीलों और अभिलेख में मौजूद सामग्री पर उचित विचार करने के बाद, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, उसका कोई अन्य आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और इसके अलावा यह देखते हुए कि आवेदक 29.07.2025 से न्यायिक हिरासत में है, न्यायालय इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन को **अनुमति** दी जाती है

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक, **रियाज अहमद @ चौधरी**, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट / मुकदमा अपराध संख्या 0001 / 2026 में आरोपी है, पुलिस स्टेशन जेठवारा, जिला प्रतापगढ़, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय के हित में जमानत पर रिहा किया जाए:

मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा नहीं।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

आवेदक यह वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकती है।

आवेदक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के तहत शपथ-पत्र पर यह वचन देगा कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता (अब धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि वह ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के तहत उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मार्च 20, 2026

मधु जे.आर./पी.एस

[न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।